भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1289

उत्तर देने की तारीख 27.07.2026

जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन

1289. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी योजना के अंतर्गत गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक स्थलों, पारंपरिक कला विधाओं, लोक संगीत, नृत्य, त्योहारों और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का कोई सर्वेक्षण या प्रलेखन किया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार स्वीकृत निधि, अनुमोदित परियोजनओं और सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन केंद्र, संग्रहालय या व्याख्या केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारत सरकार ने महाराष्ट्र (गढ़चिरौली-चिमूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) सहित अपने सदस्य राज्यों की लोक/जनजातीय संस्कृति, जिसमें लोक नृत्य और संगीत, पारंपरिक कला रूप आदि शामिल हैं, के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एससीजेडसीसी), नागपुर और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर की स्थापना की है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी)

अपने सदस्य राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य शामिल है, में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

एससीजेडसीसी ने अपने द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुति मंच उपलब्ध करके गढ़चिरौली के पारंपरिक जनजातीय लोक नृत्यों 'लिंगो' और 'रेला' को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, एससीजेडसीसी ने क्षेत्र के जनजातीय कलाकारों की पारंपरिक कला रूपों, संगीत, नृत्य और स्वदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी की सुविधा भी प्रदान की है।

इसके अलावा, संगीत नाटक अकादमी (संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) ने गणतंत्र दिवस परेड, 2026 के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लेने के लिए गडचिरौली-चिमूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के गोंड जनजाति से संबंधित पचास (50) कलाकारों को शामिल किया था।

इसके अलावा, डब्ल्यूजेडसीसी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में महाराष्ट्र की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं/कला रूपों, जैसे कि 2020 में गोंधल, 2024 में धनगिरी गजा और 2025 में पैठणी साड़ी का दस्तावेजीकरण किया है।

(ख): विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों/कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए इन जेडसीसी को जारी सहायता अनुदान इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**एससीजेडसीसी, नागपुर**	**डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर**
i.	2021-22	818.52	653.92
ii.	2022-23	1949.97	1452.49
iii.	2023-24	2198.85	1280.10
iv.	2024-25	1009.80	1129.00
v.	2025-26	2440.50	1333.00
vi.	2026-27 **(अब तक)**	384.00	347.50

संस्कृति मंत्रालय "गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)" नामक एक स्कीम का संचालन करता है, जिसके तहत मंच कला के सभी कार्यकलापों जैसे कि नाटक समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप संबंधित गुरुओं द्वारा कलाकारों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को तथा संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य के संबंध में इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी अनुदान/संवितरित निधियां इस प्रकार है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**संगठनों की संख्या**	**राशि (लाख रूपए में)**
i.	2021-22	33	237.36
ii.	2022-23	41	307.66
iii.	2023-24	97	639.72*
iv.	2024-25	59	333.05*
v.	2025-26	88	713.40*
vi.	2026-27 **(अब तक)**	25	11.10*

*निकासी के लिए प्राधिकृत राशि

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार "राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता" नामक एक स्कीम का भी संचालन करता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति का संवर्धन करने वाले राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और उन्हें सहायता देना है। यह अनुदान ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिनका एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हो, जिसके संचालन में राष्ट्रीय महत्व के साथ अखिल भारतीय स्वरूप हो, पर्याप्त कार्यबल हो और जिसने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों पर 1.00 करोड़ रुपए या उससे अधिक खर्च किए हों। विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के संबंध में इस

स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी अनुदान/संवितरित निधियां इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
i.	2021-22	शून्य	0.00
ii.	2022-23	शून्य	0.00
iii.	2023-24	01	15.00
iv.	2024-25	01	18.75
v.	2025-26	04	61.25

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) स्कीम कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य एनजीओ/सोसाइटियों/निकायों/विश्वविद्यालयों आदि को सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाओं, उत्सवों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के संबंध में इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी अनुदान/संवितरित निधियां इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
i.	2021-22	27	63.63
ii.	2022-23	56	104.12
iii.	2023-24	34	29.64
iv.	2024-25	44	97.31
v.	2025-26	49	106.76

(क) और (घ): सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
